

अनुसूची-पांच (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य-शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (वॉण्ड) का प्रारूप)

1. मैं (छात्र का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि (पिता का नाम) निवासी
..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु सामान्य / आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष 2023 में आयोजित NEET प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में शैक्षणिक सत्र -2023-24 में MBBS सीट आबंटित की गई है।
3. यह कि वर्ष -2023-24 की काउंसिलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-02/2018 /नौ/55-4 नया रायपुर दिनांक 25मई 2018 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली-भांति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका 10 जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियां दी गई है, जिसे मैंने भली-भांति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
4. मैं एतद् द्वारा बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ कि मैं एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा / करूंगी।
5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात किया जावेगा।
6. यह कि इस बंध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा की मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बंध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता (प्रतिभूतिकर्ता का नाम) पुत्र / पुत्री / पत्नि (प्रतिभूतिकर्ता के पिता का नाम) निवासी पता की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बंध पत्र की राशि रुपये शब्दों में रुपये) की वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण छात्रवृत्ति / शिष्यावृत्ति की संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति पत्र प्रदान नहीं किया जावेगा।
8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा / करूंगी जिसकी अनुसंशा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा।
9. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते हैं। तो यह बंध पत्र स्वयं निरस्त समझा जावेगा।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

गवाह :-

1. हस्ताक्षर

2. हस्ताक्षर

आवेदक

प्रतिभूतिकर्ता

गवाह 01

गवाह 02

आवेदक का
फोटोप्रतिभूतिकर्ता का
फोटोगवाह नं. 1 का
फोटोगवाह नं. 2 का
फोटो


हस्ताक्षर
आवेदक / निष्पादनकर्ता